2013/00102

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) फलौदी
बइजलास – यशपाल आहूजा (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद सं. 451/19

वादी	बनाम	प्रतिवादीगण
1. मुबारक गोद पुत्र जानु खां ज़ति मुसलमान निवासी कानासरिया ननेऊ तहसील फलोदी जिला जोधपुर राजस्थान।		1.श्रीमान तहसीलदार फलोदी।

दावा अंतर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थिति :–

श्री जमालदीन खान व सिकन्दर खान अधिवक्ता वादी

–:: निर्णय ::–

दिनांक :– 26.01.2020

वाद का संक्षेप विवरण इस प्रकार है कि ग्राम कानासरिया ननेऊ के खसरा संख्या 1/1 रकबा 22.06 बीघा, खसरा संख्या 14/8 रकबा 07 बीघा तथा खसरा संख्या 14/1 रकबा 13.10 बीघा, खसरा संख्या 29 रकबा 8.05 बीघा, खसरा संख्या 31/1 रकबा 18.10 बीघा कुल 69.11 बीघा का वादी का कदीमी कब्जा काश्त का खेत आया हुआ है जिसमें अपने पिता जानुखां की मृत्यु होने पर 1/2 हिस्सा पर खातेदारी दर्ज हो गयी तथा 1/2 हिस्सा पर अपनी माता जिन्नत के नाम खातेदारी दर्ज हुई जिस पर वादी व उसके पूर्वज वक्त सेटलमेन्ट के पूर्व से कब्जा काश्त चले आ रहे है। वादी को उक्त खसरा की भूमि विरासत में मिली है। वादी व उसके पुर्वजो से उक्त खसरान पर प्रतिवर्ष काश्त करते एवं अवेरते आ रहे है। उक्त खसरान की भूमि के चारो तरफ ताराबंदी की हुई है एवं वादी की पक्की ढाणी व टांका बना हुआ है। जिसमें वादी के परिवार के लोग निवास करते है। वर्तमान में भी काश्त की हुई है।

ग्राम कानासरिया ननेऊ के उक्त खसरान की भूमि वादी एवं उसके पूर्वजों के कदीमी कब्जा काश्त की भुमि है। उक्त खसरान जानुखां के खातेदारी की थी। जानुखां ने वादी को गोद पुत्र रख लिया था तथा वादी जानुखां के कोई औलाद नहीं होने के कारण जानुखां व उसकी पत्नि जिन्नत की सेवा चाकरी करता था जानुखां व जिन्नत ने वादी को जन्म के समय ही अपने गोद पुत्र के रूप में अपना लिया था वादी जानुखां व जिन्नत को अपने साथ रखता था उनके भरण पोषण वादी ही करता था जानुखां के फौत होने पर उनके अन्तिम संस्कार व कफन दफन का खर्चा भी वादी ने ही किया था। जानुखां की मृत्यु होने के बाद उक्त खसरान में 1/2 हिस्सा वादी के नाम की खातेदारी व 1/2 वादी के माता के नाम दर्ज हुई थी जानुखां की मृत्यु के बाद जिन्नत वादी के साथ ही रहती थी जिनकी मृत्यु 15.02.2013 को होनेसे मगर वादी जिन्नत के स्थान पर खातेदारी दर्ज नही करवा सका तथा वर्तमान में भी मृतक जिन्नत के नाम ही खातेदारी दर्ज है।

वादी जिन्नत का गोद पुत्र है जिन्नत का भी भरण पोषण अन्तिम संस्कार व कफन दफन भी वादी ने ही किया था। उक्त खसरान पर जानुखां के समय से ही वादी का कब्जा रहा है वर्तमान में ही वादी का ही कब्जा है व उक्त खसरान में 1/2 हिस्सा पर जिन्नत के नाम से ही खातेदारी दर्ज है। इस प्रकार उक्त खसरान की तमाम भूमि वादी की कदीमी पूर्व विरासत की है। जिस पर वादी कदीम से कब्जा काश्त है उक्त खसरान पर वादी प्रतिवर्ष काश्त करता एवं अवेरता आ रहा है।

वादीगण का वाद दर्ज रजिस्ट्रर किया गया प्रतिवादी तहसीलदार फलोदी को जरीये समन तलब किया गया प्रतिवादी की तरफ से जवाब पेश नही हुआ

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक दण्डनायक
(फास्ट ट्रैक) फलोदी

Scanned by CamScanner

वादीगण अधिवक्ता की वाद पर बहस सुनी गयी अधिवक्ता वादीगण ने अपनी बहस में बताया की ग्राम कानासरिया ननेऊ में खसरा संख्या 1/1 रकबा 22.06 बीघा, खसरा संख्या 14/8 रकबा 07 बीघा तथा खसरा संख्या 14/1 रकवा 13.10 बीघा, खसरा संख्या 29 रकबा 8.05 बीघा, खसरा संख्या 31/1 रकबा 18.10 बीघा कुल 69.11 बीघा का वादी का कदीमी कब्जा काश्त का खेत आया हुआ है जिसमें अपने पिता जानुखां की मृत्यु होने पर 1/2 हिस्सा पर खातेदारी दर्ज हो गयी तथा 1/2 हिस्सा पर अपनी माता जिन्नत के नाम खातेदारी दर्ज हुई पर जिन्नत की मृत्यु होने पर जिन्नत के स्थान पर वादी को खातेदारी अधिकारों की घोषणा करवाने की अधिकारी है।

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलबध दस्तावेजात का अवलोकन किया जिससे स्पष्ट है के ग्राम कानासरिया ननेऊ में खसरा संख्या 1/1 रकबा 22.06 बीघा, खसरा संख्या 14/8 रकबा 07 बीघा तथा खसरा संख्या 14/1 रकबा 13.10 बीघा, खसरा संख्या 29 रकबा 8.05 बीघा, खसरा संख्या 31/1 रकबा 18.10 बीघा कुल 69.11 बीघा का वादी का कदीमी कब्जा काश्त का खेत आया हुआ है जिसमें अपने पिता जानुखां की मृत्यु होने पर 1/2 हिस्सा पर खातेदारी दर्ज हो गयी तथा 1/2 हिस्सा पर अपनी माता जिन्नत के नाम खातेदारी दर्ज हुई पर जिन्नत की मृत्यु होने पर जिन्नत के स्थान पर वादी को खातेदार घोषित किया जावे। वादी ने अपने वाद को दस्तावेजात् से साबित किया है। अतः वादी का वाद स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है।

-: आदेश :-

वादी का वाद स्वीकार किया जाकर ग्राम कानासरिया ननेऊ में खसरा संख्या 1/1 रकबा 22.06 बीघा, खसरा संख्या 14/8 रकबा 07 बीघा तथा खसरा संख्या 14/1 रकबा 13.10 बीघा, खसरा संख्या 29 रकबा 8.05 बीघा, खसरा संख्या 31/1 रकबा 18.10 बीघा कुल 69.11 बीघा का वादी का कदीमी कब्जा काश्त का खेत आया हुआ है जिसमें अपने पिता जानुखां की मृत्यु होने पर 1/2 हिस्सा पर खातेदारी दर्ज हो गयी तथा 1/2 हिस्सा पर अपनी माता जिन्नत के नाम खातेदारी दर्ज हुई पर जिन्नत की मृत्यु होने पर जिन्नत के स्थान पर वादी को खातेदार घोषित किया जाता है। अतः तहसीलदार फलौदी को आदेशित किया जाता है कि इसी अनुसार वादीगण का नाम राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करे। इसी अनुसार डिक्री पर्चा मुर्तिब हो।

निर्णय आज दिनांक 28/01/2020 को मेरे निर्देशन में टंकित करवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से एक कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

यशपाल आहूजा (आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड दण्डनायक
मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रेक) फलौदी

Scanned by CamScanner

डिगरी बमुकदमें इब्तदाई
(आदेश 21 नियम 6,7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालत श्री सहायक कलक्टर लोहावट
बइजलास श्री यशपाल आहूजा (आर.ए.एस.)

वादी

मुबारक गोद पुत्र जानु खां
जति मुसलमान निवासी कानासरिया
ननेऊ तहसील फलोदी जिला जोधपुर
राजस्थान।

बनाम

प्रतिवादीगण

1.श्रीमान तहसीलदार साहब फलोदी।

दावा अन्तर्गत धारा 88, राज. काश्तकारी अधिनियम

वाद संख्या 451/2019

यह मुकदमा आज वास्ते इन फिसाल कतई रूबरू मेरे व हाजिर श्री जमालदीन खान व सिकन्दर खान, अधिवक्ता मिनजानिब व मिनजानिब मुदायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है ग्राम कानासरिया ननेऊ में खसरा संख्या 1/1 रकबा 22.06 बीघा, खसरा संख्या 14/8 रकबा 07 बीघा तथा खसरा संख्या 14/1 रकबा 13.10 बीघा, खसरा संख्या 29 रकबा 8.05 बीघा, खसरा संख्या 31/1 रकबा 18.10 बीघा कुल 69.11 बीघा का वादी का कदीमी कब्जा काश्त का खेत आया हुआ है जिसमें अपने पिता जानुखां की मृत्यु होने पर 1/2 हिस्सा पर खातेदारी दर्ज हो गयी तथा 1/2 हिस्सा पर अपनी माता जिन्नत के नाम खातेदारी दर्ज हुई पर जिन्नत की मृत्यु होने पर जिन्नत के स्थान पर वादी को खातेदार घोषित किया जाता है। अतः तहसीलदार फलौदी को आदेशित किया जाता है की माफिक निर्णय राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करें। मुतालिक

बाबत

खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर फीस सदी सालाना आज की तारीख को अदा करें।
वसूली याबी तक बसब्त मरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 28 माह 01 सन् 2020 को जारी की गई।

दस्तखत
सहायक कलक्टर एवं अतिरिक्त दण्डनायक
(फास्ट ट्रैक) फलोदी

मोहर

मुदई	रूपया	पैसे	मुदायला	रूपया	पैसे
अर्जी दावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत मेहनतनामा वकील खर्चा गवाहान फीस कमीश्नर बाबत् इजराय हुक्मनामा मिजान	–	–	अर्जी दावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत मेहनतनामा वकील खर्चा गवाहान फीस कमीश्नर बाबत् इजराय हुक्मनामा मिजान	–	–

नोटः– इस खर्चे के फॉर्म पर कुल खर्च यह हो फरीकन का चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो न तो दर्ज किया जावें।

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Yashpal Ahuja
Date: 2020.03.13 11:00:05 IST
Reason: SelfAttested
Location: